अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 153/2012

राम प्रसाद शर्मा — अपीलार्थीगण

वनाम

चन्देश्वरी शर्मा एवं अन्य — रेस्पोण्डेन्ट्स/विपक्षीगण

–::आदेश::–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरीबख्तियारपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकः 11.04.2012 ई0 अन्दर भूमि विवाद वाद संख्याः 71/11 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलाकन किया।

प्रस्तुत अपील वाद में मौजाः गोरदह थाना नं० 55, अंचल–सलखुआ, जिला–सहरसा के खाता नया–341, खेसरा नया–6810, खाता पुराना–200, खेसरा पुराना–4966, रकवा–02 धूर भूमि केवाला दस्तावेज संख्या–16665 दिनांक–05.07.1974 ई० नविस्ते मसोमात खुसीया जौजे सहदेव शर्मा बहक राम प्रसाद शर्मा एवं केवाला नं०–17451 दिनांक–30.12.2005 ई० वो नविस्ते लालमोहर शर्मा पे० पिता–स्व० सहदेव शर्मा बहक राम प्रसाद शर्मा खाता नया–341, खेसरा नया–6810, रकवा–07 धूर एवं खाता नया–544, खेसरा नया–6827, रकवा–01 धूर कुल खरीदगी रकवा–10 धूर भूमि इस अपील वाद में विवादी भूमि है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी/वादी को केवाला नं०–16665 दिनांकः 05.07.1974 एवं केवाला नं०–17451 दिनांक–30.12.2005 में प्राप्त भूमि पर खरीदगी के पश्चात् दखलकार होने तथा दाखिल खारीज कराकर माल गुजारी रसीद प्राप्त होने की कथन किया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि विपक्षी संख्या–01 लाल मोहर शर्मा के पुत्रों के द्वारा नाजायज रूप से खरीदगी एराजी पर दखल अंदाजी करने पर विपक्षी गण के विरूद्ध निम्न न्यायालय में

अपीलार्थी/वादी के द्वारा वाद दाखिल किया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह भी कथन करते हैं कि विवादी भूमि पर अपीलार्थी के दखल–कब्जा एवं खरीदगी की भूमि पर अपीलार्थी/वादी दखलकार चले आ रहे हैं कि ग्राम कचहरी में भी विपक्षीगण के द्वारा जबरदस्ती करने के विरूद्ध आवेदन दिया था जिसमें आदेश पारित है, एवं लालमोहर शर्मा पिता–स्व० सहदेव शर्मा के द्वारा शपथ–पत्र कर न्यायालय में दाखिल है, जिसमें अपीलार्थी की खरीदगी भूमि पर अपीलार्थी का दखल–कब्जा को कबूल करते हैं तथा लालमोहर शर्मा के अन्य लड़के के द्वारा बँटवारानामा को गलत ढंग से केवाला के पश्चात् बनाने का भी कथन शपथ–पत्र मं विपक्षी के पिता के द्वारा की गई है।

दूसरी ओर रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि उत्तरवादी/विपक्षी न्यायालय में बहस के दौरान पक्ष रखते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी का केवाला सहीं नहीं है तथा अपीलार्थी का विवादी भूमि पर दखल–कब्जा नहीं है जिस आधार पर निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को सही होने का कथन किया है।

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत सिड्यूल 'क' एवं 'ख' में वर्णित भूमि पर उभय पक्ष द्वारा हकियत की पुष्टि मुताबिक केवाला वादीगण के पक्ष में तथा मकान मय सहन के रूप में दखल कब्जा की पुष्टि प्रतिवादीगण के पक्ष में परिलक्षित होता है। ऐसे प्रश्नों का निर्णय स्वत्व निर्धारण से ही संभव बताते हुए वादी को वर्तमान परिवेश में प्रश्नगत जमीन पर प्रतिवादीगण के दखल कब्जा में छेड़– छाड़ नहीं करने तथा वादीगण को अपने केवाला खरीदगी सेड्यूल 'क' एवं 'ख' की भूमि के मुताबिक भूमि का स्वत्व निर्धारण कर दखल कब्जा पाने के लिए सक्षम व्यवहार न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र किया गया है ।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया पाया कि निम्न न्यायालय द्वारा मामले की विस्तृत एवं सम्यक विवेचना करते हुए आदेश पारित किया गया है। अस्तु अपील अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।
लेखापित एवं संशोधित।

27/12/2013
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

27/12/2013
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा